

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

आदेश

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला ...../2014

जयपुर, दिनांक: 20/10/14

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला डूंगरपुर /2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में कुल 102 शिकायतें/परिवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया, जिनमें कुल 95 शिकायतें/परिवेदनाएँ सही पाई गई। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम: बिछीवाडा

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	तलैया	तलैया	राउमावि तलैया	राप्रावि घाटियाफला	राप्रावि घाटियाफला	दानो विद्यालयों के मध्य पहाडी क्षेत्र एवं वरशाती नाला होने से

पंचायत समिति का नाम: डूंगरपुर

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	कोलखण्डा	कोलखण्डा	रामावि कोलखण्डा खास	रा.प्रा.वि. कोलखण्डा खास राप्रावि कालिया हेला	रा.प्रा.वि. कालिया हेला	- विद्यालय दुर्गम पहाडी क्षेत्र में स्थित हैं एवं दूरी अधिक। - विद्यालय जनजाति क्षेत्र में स्थित हैं।
2	फलोज	फलोज	राउमावि, फलोज	रा.उ.प्रा.वि. फलोज नई राउप्रावि, भागेला	रा.प्रा.वि. भागेला	दुर्गम पहाडी क्षेत्र एवं दूरी 1.5 किमी से अधिक एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र

1051



क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
3	नगर परिषद् डूंगरपुर	नगर परिषद् डूंगरपुर	रा.महा.उमावि डूंगरपुर	रा.उ.प्रा.वि. वांसडवाडा	रा.उ.प्रा.वि. वांसडवाडा	<ul style="list-style-type: none"> <li>- दलित एवं अस्वच्छ कार्यों में रत लोगो की वस्ती एवं अनु. जाति के छात्र अध्ययनरत हैं ।</li> <li>- आदर्श विद्यालय एवं समन्वित विद्यालय के मध्य व्यस्ततम शहरी सडक मार्ग स्थित हैं ।</li> </ul>
4	शहरी क्षेत्र डूंगरपुर	शहरी क्षेत्र डूंगरपुर	रा.गौ.शं.उपा. मावि नं.6 डूंगरपुर	रा.उ.प्रा.वि. न. 7 पुलिस लाईन	रा.उ.प्रा.वि. न.7 पुलिस लाईन	<ul style="list-style-type: none"> <li>- पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त भूमि पर विद्यालय निर्मित हैं ।</li> <li>- पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वच्चें अध्ययनरत हैं ।</li> <li>- मापदण्डानुसार पर्याप्त नामांकन होने से</li> </ul>


पंचायत समिति का नाम: सागवाडा

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	सेमलिया पण्ड्या	सेमलिया पण्ड्या	रामावि सेमलिया पण्ड्या	रा.प्रा.वि. कमाईफला, रा.प्रा.वि. सेमलिया पण्ड्या	रा.प्रा.वि. कमाईफला	दोनों विद्यालयों के बीच बरसाती नाला है वर्षभर बालक रास्ते में स्थित गड्ढों में पानी भरा रहता है बालक छोटा पगडण्डी मार्ग होने से इसी मार्ग से विद्यालय पहुंचेंगे जो कि खतरा भरा हो सकता है
2	सरोदा	सरोदा	राउमावि सरोदा	रा.प्रा.वि. खिचडियाफला राउप्रावि, सरोदा	रा.प्रा.वि. खिचडियाफला	रा.प्रा.वि. खिचडियाफला के 1 किमी परिधि में अन्य कोई प्रा.वि. नहीं है एवं मार्ग में भीखाभाई नहर निर्माणाधीन होने से



क्र. सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
3	सागवाडा	सागवाडा	रा.वाडेल बा. उमावि सागवाडा	रा.वा.उ.प्रा.वि. यो. सागवाडा	रा.वा.उ.प्रा.वि. यो. सागवाडा	रा.वा.उ.प्रा.वि. यो. सागवाडा में अनु.जन जाति क्षेत्र की विखरी वस्तीयो से बालक अध्ययन हेतु आते हैं जिनके लिए वा.सी.मा.वि. सागवाडा तक मैनरोड काँस करना कठिनाई बराहोगा।
4	सागवाडा	सागवाडा	रा.महि.उमावि सागवाडा	रा.उ.प्रा.वि. नं. -2 सागवाडा	रा.उ.प्रा.वि. नं. -2 सागवाडा	विद्यालय का नामांकन 235 है, नगरीय क्षेत्र एवं आवागमन में असुविधा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से  
  
 (अन्तर सिंह नेहरा) 20/10/14  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर, .....
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (गुप-2)।
16. शारान उप सचिव, तृतीय शिक्षा (गुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, .....
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय), .....
21. रक्षित पत्रावली।

  
 20/10/14  
 संयुक्त शासन सचिव